ECONSPEAK: A JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT IT & SOCIAL SCIENCES
Vol. 6, Issue 1, January 2016, Impact Factor: 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारतीय लोकतंत्र का दर्शन

Dr Alka
Commissionerate College Education ,
Government of Rajasthan,Jaipur

प्रस्तावना

लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन काल से एक पौरा णक शहर एथेंस में पाई जा सकती है। प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत में थी। पूरे वैदिक काल में सभाओं और स मतियों का अस्तित्व यहीं से शुरू होता है , जहां से भारत के लोकतंत्र का इतिहास शुरू होता है। अ धकांश प्राचीन शहर और राष्ट्र राजशाही थे , हालां क उनमें से सभी नहीं थे। लोकतंत्र का वचार गायब नहीं था और पूरे मुगल काल में कई रूपों में मौजूद था। भारत पर ब्रिटिश का कब्जा तब हुआ था जब लोकतंत्र का वचार सबसे पहले अपने नागरिकों के लए महत्वपूर्ण हो गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत में है , भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मत देने वाली आबादी है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा ल खत सं वधान भी है। अपनी स्थापना के बाद से , भारत ने एक प्रगतिशील रुख अपनाया है। भारतीयों ने महिलाओं को मत देने का अ धकार दिया है , प्रत्येक नागरिक के मौ लक अ धकारों की रक्षा की है और शक्तियों के पृथक्करण के सद्धांत को शा मल कया है। भारतीयों ने धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) जैसे सद्धांतों को भी शा मल कया है , जो अभी भी अन्य लोकतंत्रों में व्यापक रूप से प्रच लत नहीं हैं, ले कन भारतीय सं वधान में यह शुरुआत से ही शा मल हैं। भारत मे लोकतांत्रिक के अस्तित्व और वस्तार की गारंटी देने वाला प्रमुख साधन भारत का सं वधान है।
लोकतंत्र या प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है , जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए कसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनि ध चुन सकती है ' तथा उसे वधायिका का सदस्य बना सकती है। लोकतन्त्र दो शब्दों से मलकर बना है, "लोक + तन्त्र"। लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त्र का अर्थ है शासन।

यद्य प शब्द का प्रयोग राजनीतिक सन्दर्भ में कया जाता है , कन्तु लोकतन्त्र का सद्धान्त दूसरे समूहों और संगठनों के लये भी संगत है। मूलतः लोकतन्त्र भन्न-भन्न सद्धान्तों के मश्रण बनता है , लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लए शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है की जनता अपनी मर्जी से वधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है , जिसमे सभी व्यक्ति को समान अ धकार होता हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आ र्थक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगो को सामाजिक , राजनीतिक तथा धा र्मक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं।

संकेत शब्द - सं वधान, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन, शासन व्यवस्था, आ र्थक न्याय, धा र्मक स्वतंत्रता, शासन

भारत में लोकतंत्र की कार्यवाही-

18 वर्ष से अ धक आयु के भारत के हर नागरिक को वोट देने का अ धकार है। भारत का सं वधान कसी से भी अपनी जाति , रंग, पंथ, लंग, धर्म या शक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। भारत में कई पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है जिनमें प्रमुख है – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) , कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इं डया- मार्क्सिस्ट (सीपीआई-एम) , राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) , अ खल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)। इनके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राज्य वधायिकाओं के लए चुनाव लड़ती हैं। चुनावों को समय-समय पर आयोजित कया जाता है और लोग अपने प्रतिनि धयों का चुनाव करने के लए मतदान करने के अपने अ धकार का उपयोग करते हैं। सरकार लगातार अच्छे प्रशासन को चुनने के लए अ धक से अ धक लोगों को वोट देने के अपने अ धकार का इस्तेमाल करने के लए लगातार प्रयास कर रही है। भारत में लोकतंत्र का मकसद केवल लोगों को वोट देने का अ धकार देने के लए नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करना भी है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में श्लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो चित्र है यह लोकतंत्र, राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है इसका अर्थ है कि न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना होगी। शासन की पद्धति के रूप में प्रतिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में जनमत संग्रहश या श्आरम्भक जैसे कोई भी अभिकरण नहीं है जिनके द्वारा जनता पर शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो । भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केन्द्र में संसद के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के माध्यम से करते हैं, जिनका निर्वाचन जनता व्यस्क मताधिकार के आधार पर करती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपने–अपने विधान मंडलों में जनता के प्रतिनिधियों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

राजनैतिक न्याय– इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने के विषय में समाहता प्राप्त है। संविधान की उद्देशिका में जिस राजनैतिक न्याय की बात कही गई है, उसे सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति सम्पति और शिक्षा पर ध्यान दिये वगैर राजनैतिक व्यवस्था में भाग ले सके। इसके अतिरिक्त धर्म, जाति सम्प्रदाय, भाषा का भी कोई भेद न किया जाए। स्त्रियों एवं पुरुषों को अवसर की समानता प्रदान करना भी लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति है। संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में उच्चतम न्यायालय में राजनयिक मिशनों में अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं, यद्यपि संविधान में उनके लिये कोई आरक्षण नहीं हैं। इससे प्रकट होता है कि जो संविधान को क्रियान्वित कर रहे है उन्होनें संविधान के दर्शन को छोड़ा नहीं है। प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि यह देश उनका अपना देश हैं।

(1) सामाजिक लोकतंत्र–

भारत का संविधान न केवल राजनीतिक वरन् सामाजिक लोकतंत्र का वचन देता है। इस बात को डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषणरू यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है– इसका अर्थ है वह जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को मान्यता देती है जिसमें ये अलग–अलग न माने जाकर त्रिमूर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे इस त्रिमूर्ति का एकीकरण हैं।

आर्थिक लोकतंत्र–

इस संदर्भ में उद्देशिका में जिस आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किये जाने की बात कही गई है वह तभी प्राप्त हो सकेगा जब संविधान में जिस लोकतंत्र को दृष्टि में रखा गया है वह राजनीतिक लोकतंत्र तक ही सीमित न रहे पंडित नेहरू के अनुसार– भूतकाल में लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ही पहचाना गया जिसमें मोटे तौर से एक व्यक्ति का एक ही मत होता है। किन्तु मत का उस व्यक्ति के लिये कोई महत्व नहीं होता जो निर्धन और निर्बल है या ऐसे व्यक्ति के लिये जो भूखा है और भूख से मर रहा है राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसका आर्थिक लोकतंत्र व समानता में धीरे–धीरे वृद्धि करने के लिए और जीवन की सुख–सुविधाओं को दूसरों तक पंहुचाने के लिए तथा सभी असमानताओं को हटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी बात को डा. राधाकृष्णन ने इस प्रकार कहा था– जो गरीब लोग इधर–उधर भटक रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं हैं, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो भूख से मर रहे हैं, जो निरन्तर कचोटने वाली गरीबी के शिकार हैं, वे संविधान या उसकी विधि का गर्व नहीं कर सकते ।

आर्थिक न्यायः– नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य का उद्देश्य जिनके पास धन है उनसे छीनकर निर्धनता का उन्मूलन करना नहीं है वरनु राष्ट्रीय धन और सम्पत्ति स्त्रोतों में अनेक गुना वृद्धि करके उनका सभी लोगों में साम्यपूर्ण वितरण करना है जो उत्पादन में अपना अभिदाय करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने पर यहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा।

स्वतंत्रताः– सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिये आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिये सुनिश्चित हो जाएगें। षविचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान के भाग 3 द्वारा राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरूद्ध प्रत्याभूत किया गया है, (अनु 19, 25–28) इसके अतिरिक्त अन्य कई अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त हैं।

समानता – प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रत्याभूत करना अर्थहीन हो जाएगा यदि सामाजिक संरचना से असमानता दूर नहीं की जाती नागरिकों को श्कानून के समक्ष समानता प्रदान कही की गई है और राज्य पर बन्धन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए

एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। (अनु. 14) राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा (अनु 15) सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होगें (अनु. 16) सामाजिक समानता को अधिक पूर्णता देने के लिये अस्पृश्यता का अन्त किया गया है (अनु. 17) सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता (अनु. 18) नीति निदेशक तत्वों द्वारा भी समानता लाने के लिये राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरूष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने एवं समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है (अनु 39) नीति निदेशक तत्व आर्थिक सुरक्षा संबंधी सामाजिक हित संबंधी न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा संबंधी हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का यह एक जगमगाता हुआ उदाहरण है जबकि उसके पडौसी जैसे पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका और वर्मा ने धर्म विशेष को राज्य धर्म घोषित किया है।

व्यक्ति की गरिमा–

जब तक प्रत्येक सदस्य की गरिमा की रक्षा न की जाए तब तक बंधुता की स्थापना नहीं हो सकती। अतएव भारतीय संविधान की उद्देशिका में राज्य का दायित्व बताया गया है कि वह व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेगा। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल अधिकारों की प्रत्याभूति दी गई है जिससे अधिकारों का हनन होने पर वह न्यूनतम अधिकार न्यायालय द्वारा प्रदत्त करवा सकता है संविधान के भाग 4 में बहुत से निर्देश राज्य को सामाजिक आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये दिये गए हैं ताकि व्यक्ति को अभाव एवं दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सके।

मूल कर्तव्य – संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक अन्य अनुच्छेद 51क अंतःस्थापित करके दस मूल कर्त्तव्य भी बताए गए इनमें संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना आदि सम्मिलित किये गए हैं।

उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोड़ते हुए स्थापित करने का प्रयास करने का प्रयास किया गया है जो महात्मा गांधी के ष्स्वप्नों के भारत जैसा है–" ऐसा भारत जिसमें गरीब से गरीब भी यह समझेगा कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसका भी हाथ है..... वह भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्णतया समरस होकर

रहेगें ऐसे भारत में अस्पृश्यता के आप के लिए या मादक पेय और स्वापक द्रव्यों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्री और पुरुष समान अधिकारों का उपयोग करेगें,हमारी उद्देशिका में किए गए इस सफल संयोजन की अर्नेस्ट वार्कर ने भूरि–भूरि प्रशंसा की है। उन्हीं के शब्दों में– "स्वतंत्रता के उपयोग में सामर्थ्य और भावना होनी चाहिए– प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अस्मिता होनी चाहिए और साथ ही दूसरों की अस्मिता के प्रति आदर भी होना चाहिए और यह बात सम्पूर्ण समाज में पाई जानी चाहिए। यह होने पर ही लोकतांत्रिक राज्य की वास्तव में प्राप्ति हो सकती है.....। यह ऐसे समुदाय में ही पाई जा सकती है जिसनें भौतिक दृष्टि से एक पर्याप्त स्तर प्राप्त कर लिया हो और जिसमें पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय समरसता हो जिससे कि वह स्वतंत्रता के आदर्श के प्रति स्वयं को समर्पित कर सके . यदि राष्ट्रीय समरसता की समस्या मुंह बाएं खड़ी है और बंधुता की कोई सामान्य भावना नहीं है, यदि समाज के कुछ अंगो को आपस में शिक्षा कम होने के कारण या निम्न वंश होने के कारण या किसी और आधार पर परकीय और बाहरी समझा जाता है तो समान स्वतंत्र जीवन का आदर्श कभी प्राप्त नहीं हो सकता।

समीक्षा –

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की शब्दावली और अभिकल्पना आधुनिक है परन्तु नितान्त विदेशी नहीं है। भारत में सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है जिसमें " जिओ और जीने दो की व्याप्ति रही है सब समूहों के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित थे, और परिवार की परम्पराएं तथा पंचायतों का नियंत्रण विपथगामिता अधिक नहीं होने देता था संविधान जो दायित्व सामाजिक न्याय के शासन पर डालता है, उनमें विगत वर्षों के केन्द्र एवं राज्यों के शासनों को सफलता कम ही मिली है। न्याय में पहले उचित, शुद्ध कल्याणकारी व्यवहार आता है। इसके बिना न्याय नहीं हो सकता, अन्याय ही होगा। शासन कोई भी हो उसकी सक्रियता और सफलता इसी पर निर्भर करती है कि कितना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसमें होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता, स्वार्थ साधना, अत्याचार पारिवारिक शोषण, अनौचित्य कृत्य विगत वर्षों में बढ़े हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, दृष्टाचार सब कुछ जो दूर रहना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त हो गया है इसलिये समस्त सार्वजनिक क्षेत्र में अविश्वास, आशंकाएं एवं अंधकार है। इस संदर्भ में यह उचित होगा कि प्राचीन परम्पराओं– परहित, परसेवा, अपरिग्रह, आदर–सत्कार, दान, क्षमा, सत्य, अहिंसा आदि का अवलम्बन लें, तभी किसी के भी हित रक्षित रह सकेगें, भारतीय लोकतंत्र में विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। व्यवहार में

भी अधिकांश स्वतंत्रताएं भारतीयों को प्राप्त हो रही हैं जो अपवाद आते है. उनके विरोध में उग्रता से आवाज उठाई जाती है एवं आन्दोलन किये जाते है जो इन्हें परिपुष्ट एवं प्रमाणित करते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी भारतीय लोकतंत्र में दी गई है। दलित एवं जनजातियों के लिये आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है ताकि वर्षों से पीडित एवं शोषित वर्ग भी समाज में समकक्ष स्तर का जीवन व्यतीत कर सकें। परन्तु उच्च वर्ग द्वारा आरक्षण का विरोध लगातार करते रहने से यह समता संकट में पड सकती है। इसके लिये जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो चुके हैं उन्हें जातिगत आधार पर आरक्षण से वंचित किये जाने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। भारत में लोकतंत्र में शासन जनता के हाथ में हैकृ लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन द्वारा शासन संचालकों में होने वाले बार–बार परिवर्तन इस बात के द्योतक है कि शासन संविधान की उद्देशिका के अनुसार नहीं चलाया जा रहा बढती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता अंसतुष्ट है (क) भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों में (39वां अनुच्छेद) कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से (A) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, (B) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो. (C) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार घले जिससे धन और उत्पादन–साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण ना हो (D) पुरूषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य का समान वेतन हो, (E) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पडे जो इनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों आदि ।

यदि वास्तविक स्थिति देखें तो देश में बेरोजगारी दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है, टाटा–बिडला जैसे समूहों की सम्पत्ति बढती जा रही है एवं कम से कम एक तिहाई आबादी निर्धनता की निर्धारित रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है। पुरुष, स्त्री तथा बालक–बालिकाओं के शारीरिक शोषण के प्रकार और पीडन बढ़ते समता जो भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य स्तम्भ है यह भी व्यवहार में दर्शनीय जा रहें है। निर्वाचन प्रक्रिया जातिगत कर ली गई है। उपाधियों के अन्त का प्रावधान है और उनके लिए होड उचित–अनुचित तरीकों से बढ़ती जा रही है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है और विश्व मानवाधिकार संगठन इसी विषय में सर्वाधिक आरोप लगा रहे हैं। प्राचीन समय में प्रतिष्ठा की समता चाहे उतनी न थी लेकिन सम्पन्नता की असमानता का ऐसा विद्रूपक प्रदर्शन नहीं होता था, जितना आजकल विवाहों तथा अन्य आयोजनों में होता है उनमें ये लोग खुल्लम खुल्ला भाग लेते है जो संविधान की शपथ लेकर शासनीय पदों पर आते हैं। हम न अपने गणतंत्र

की मृत्यु चाहते हैं न संविधान की । संविधान की एक व्यवस्था, निर्वाचन आयोग ने दिखा दिया है कि निर्भय, सक्रिय और सचेत अवस्था से विकट स्थिति भी सुधारी जा सकती है। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि जो दल अपने संविधान के अनुसार अपना संचालन न करे, उसे देश के निर्वाचनों में भाग नहीं लेने दिया जाए।

न्याय, स्वतंत्रता और बन्धुता ऐसे तत्व है, जो जितने वांछनीय है, उतना ही संकल्प और प्रयत्न उनके लिए करना पडता है। निरन्तर निरीक्षण स्वाधीनता के लिए आवश्यक आरम्भ से रहा है। निश्चिन्तता तो एकतंत्र में थोपी जाती है जो लोकतंत्र है वह लोक केंष हम भारत के लोग के निरन्तर सक्रिय प्रयत्न एवं प्रतिबद्धता से ही सजीव और कार्यरत रह सकता है। अब भी पुरानी परम्परा, धर्म तथा आध्यात्मिकता, पुण्य, त्याग और बलिदान के साथ बार–बार हुए व्यक्त मतदान में भी दिखाई देता है कि भारत में जो कुछ बुरा एवं बैचेन करने वाला है उससे ज्यादा आस्था और विश्वास बढाने वाला है। संविधान के भाग 5 के अनुसार राज्यसभा तथा लोकसभा की संरचना और भाग 6 के अनुसार राज्यों के विधानमण्डलों का गठन सभी के वास्ते विश्वसनीय रूप से होता जा रहा किन्तु इससे प्रमाणित होता है कि भारत का सामान्य नागरिक सचेत, सावधान व सक्रिय है, यह कम उपलब्धि नहीं है। भारत का संविधान भारत की अतीतकालीन आस्थाओं एवं परम्पराओं का प्रतीक है, जो कुछ श्रेष्ठतम भारतीयता में है उसका यह पोषक है भारत की आत्मा ने इसके भाग और अध्याय बनाए है। वेदों के समय से हमारे विचारक जो करते आए है. वही के वही भाग तीन और चार में समाविष्ट है। इनमें उन मान्यताओं को संरक्षण दिया गया है, जिनके बिना भारतीयता निरर्थक और निर्जीव है।

निष्कर्ष -

लोकतंत्र को वश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रुप में जाना जाता है , यही कारण है क हमारे देश के सं वधान निर्माताओं और नेताओं ने शासन प्रणाली के रुप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन कया। हमें अपने देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत और दुनिया भर में लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा ढांचा माना जाता है। लोकतंत्र में, नागरिक निर्णय लेने की प्र क्रया में अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लए भागीदारी और प्रतिनि धत्व का उपयोग करते हैं। आज लोकतंत्र बिगड़ रहा है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत मूल्य गंभीर संकट में हैं। धन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित है। स्वतंत्रता , समानता और बंधुत्व के सद्धांत ही खतरे में हैं। सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) होती है जो लोगों की इच्छा के नाम पर लोक प्रय मत के बहुमत से नहीं चुने जाते हैं। सत्ता में बैठे लोगों और मी डया के बीच अक्सर एक संबंध होता है , जो उनके वचारों का समर्थन करता है। लोकतंत्र जो होना चाहता था , उससे दूर वक सत हो रहा है। लोकतंत्र में अभी जो समस्याएं हैं, उनका तत्काल समाधान कया जाना चाहिए। लोकतंत्र के मूल सद्धांतों की रक्षा

की जानी चाहिए। वं चत और निम्न सामाजिक स्तर के सदस्यों को अ धक प्रतिनि धत्व प्रदान कया जाना चाहिए। अ धक महिलाओं को लोकतांत्रिक प्र क्रयाओं में भाग लेने की आवश्यकता है। पहचान की राजनीति , चुनावों में काले धन के इस्तेमाल और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। केवल अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की खा मयों की जांच की जाती है और भारतीय लोकतंत्र को बढ़ाने के लए स क्रय कदम उठाए जाते हैं , तो क्या भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, निकट भ वष्य में सबसे मजबूत बन जाएगा।

संदर्भ सू च -

1. डा. दुर्गादास भारत का संविधान–एक परिचय पृष्ठ 23–24 टिश हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2. संसदीय लोकतंत्र पर गोष्ठी में पंडित नेहरू का उद्घाटन भाषण तारीख 25–2–1990
3. डा. पुखराज जैन भारतीय राज व्यवस्था 2013 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृष्ठ–155
4. डा. दुर्गादास बसु, वही पृष्ठ–26
5. पुखराज जैन, बही पृष्ठ–152
6. एम.के. गांधी एडिया ऑफ माई ड्रीम्स, पृष्ठ 9–10
7. बार्बर, रिफलैक्शंस आन गवर्नमेन्ट, पृष्ठ 192–93
8. राजेन्द्र शंकर भट्ट संविधान शंकाए और संभावनाएं पंचशील प्रकाशन 2003, पृष्ठ–18–19
9. राजेन्द्र शंकर भट्, बही पृष्ठ 21
10. राजेन्द्र शंकर भट्ट, बही पृष्ठ–18